भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 92A/2018-19

1.जगन्नाथ बांदिया 2.दिसम्बर बांदिया 3.बैजनाथ बांदिया 4. मांगुलाल बांदिया

बनाम

मंगल महाली

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

25-8-18

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, खरसावाँ के पत्रांक 685 दिनांक 20.07.18 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 92A/2018-19 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता 1. जगन्नाथ बांदिया 2. दिसम्बर बांदिया 3. बैजनाथ बांदिया 4. मांगुलाल बांदिया सभी के पिता स्व0 नवीन चन्द्र बांदिया, ग्राम–हारीसाई, थाना–खरसावाँ, जिला–सरायकेला–खरसावां ने गृह निर्माण एवं ऋण परिशोधन हेतु क्रेता मंगल महाली, पिता स्व0 लालु माहली, ग्राम–गोजुडीह, थाना–खरसावाँ, जिला–सरायकेला–खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
हांसदा	176	66	242	23डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेताओं के हिस्से की भूमि है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है। जिसमें से 23डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 10.32 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'हो' एवं 'माहली' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 23डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।